राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य/2016/ 7427 भोपाल, दिनांक /07/2016 06.08.16

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी
समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
मध्य प्रदेश।

विषय:- 0-18 माह के बच्चों की एच.आई.वी. जांच करने के संबंध में।

—00—

एच.आई.वी. संक्रमित गर्भवती माता से उसके होने वाले नवजात शिशु को एच.आई.वी. का संक्रमण गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के समय एवं प्रसव पश्चात् हो सकता है। गर्भवती माता से उनके होने वाले नवजात शिशु में एच.आई.वी. का संक्रमण का होना एक गंभीर चिंता का विषय है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार द्वारा गर्भवती माँ से बच्चे में होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए Prevention of Parents to Child Transmission(PPTCT) of HIV/AIDS कार्यक्रम संचालित है, जिसके तहत अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं को एच.आई.वी. स्क्रीनिंग/ टेस्टिंग उनकी सहमती के पश्चात् की जा रही है।

एच.आई.वी. संक्रमित माँ से पैदा होने वाले शिशुओं में Oralthrush, Sever Pneumonia तथा Sepsis जैसे लक्षण होने की संभावना अधिक होती है। इस हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जावे :

1- संस्था में आने वाले समस्त 0-18 माह की आयु तक के बच्चे जिन्हें Oral thrush, Sever Pneumonia एवं Sepsis के लक्षणों में से किन्ही दो अथवा तीनो लक्षणों के साथ पाया जाता है, तब ICTC (Integrated Counselling and Testing Centre) से समन्वय स्थापित कर सर्व प्रथम बच्चे की माता की एच.आई.वी. जांच सुनिश्चित की जावे। यदि जांच परिणाम धनात्मक है तब बच्चे की EID (Early infant Diagnosis) कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार एच.आई.वी. जांच कराना सुनिश्चत की जावे।

2- SNCU/PICU/NBSU में भर्ती नवजात शिशुओं में उपरोक्त लक्षण पाए जाने पर, ICTC से समन्वय स्थापित कर, सर्व प्रथम बच्चे की माता की एच.आई.वी. जांच सुनिश्चित की जावे। यदि जांच परिणाम धनात्मक है तब बच्चे की EID कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार एच.आई.वी. जांच कराना सुनिश्चत की जावे।

3- ऐसे बच्चे जिनकी माता एच.आई.वी. परिक्षण हेतु उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थति में उपरोक्तलक्षण पाए जाने पर चिकित्सक के परामर्श उपरान्त एच.आई.वी. की जांच सुनिश्चित की जावे।

4- एच.आई.वी. संक्रमित पाई जाने वाली माता तथा बच्चे की गोपनीयता किसी भी स्थिति में भंग ना हो इसका विशेष ध्यान रखें।

माता एवं बच्चे की एच.आई.वी जांच में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघठन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चत करें।

(व्ही. किरण गोपाल)
मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य/2016/ भोपाल, दिनांक /07/2016

प्रतिलिपि : –सूचनार्थ

1. परियोजना संचालक म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल|
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र.।
3. समस्त जिला नोडल अधिकारी, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम म.प्र.।
4. समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी म.प्र.।
5. समस्त आई.सी.टी.सी. सुपरवाइजर म.प्र.।
6. समस्त परामर्शदाता एवं लैब तकनीशियन म.प्र.।

//

मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश